खण्ड-129, अंक-1
गुरूवार, 22 माघ, शक संवत् 1875
(11 फरवरी, 1954 ई0)

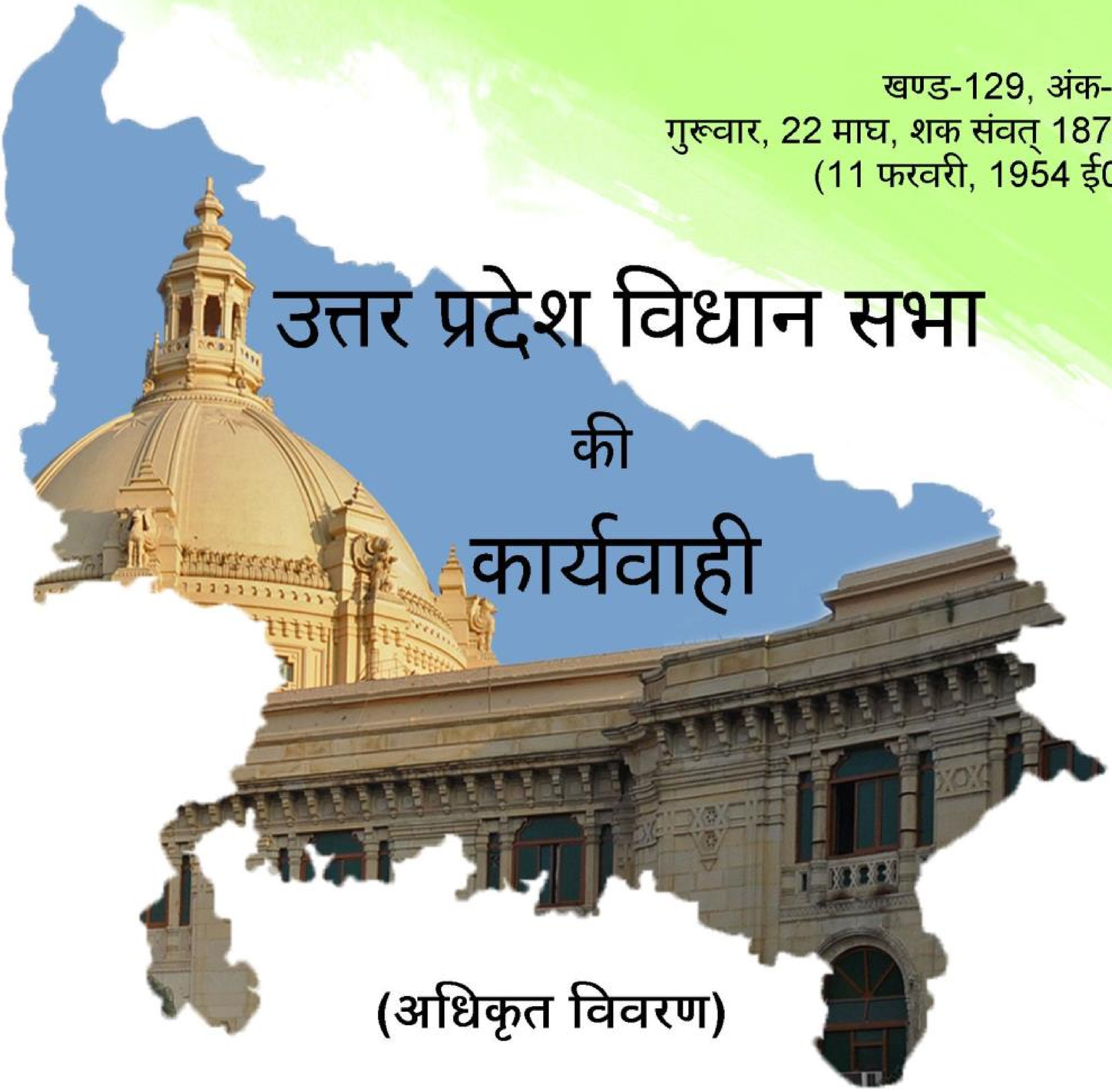

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	२४
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों के संबंध में विज्ञप्तियां (प्रतिलिपियां मेज पर रखी गयीं)	२४
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) अनुपूरक अध्यादेश, १९५४ (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	२४
कैटिल ट्रेस पास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापित किया गया)..	२४
सदन की बैठक शनिवार, १३ फरवरी, १९५४ को करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)..	२४–२६
शुक्रवार, १२ फरवरी, १९५४ असरकारी दिन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर वादविवाद करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत) ..	२७–२९
रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट में विधान सभा के चार सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	२९–३०
बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालिज झांसी की प्रबन्ध कारिणी समिति में विधान सभा के एक सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३०
नत्थियां	३१–३३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ फ़रवरी, १९५४

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मंडल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बज कर १५ मिनट पर सभा मण्डप, लखनऊ में पधारे।

विधान सभा के निम्नलिखित ३४२ सदस्य उपस्थित थे—

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

नोट—उच्चतम न्यायालय के आदेश से श्री शिवकुमार पाण्डेय भी उपस्थित थे।

राज्य विधान मंडल के सदस्यों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मंडल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया—

(जैसे ही श्री राज्यपाल अभिभाषण करने के लिये उठे प्रजा समाजवादी दल के तथा कुछ अन्य विरोधी दल के सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यगण,

गत वर्ष १६ फरवरी को मुझे आपको सम्बोधित करने का प्रथम बार गौरव प्राप्त हुआ था। तब से एक वर्ष व्यतीत हो गया है। अब आप लोगों को फिर से सम्बोधन का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है।

२—इलाहाबाद की कुम्भ दुर्घटना की चर्चा करते हुये मुझे हार्दिक पीड़ा होती है। कुम्भ के मेले में हमारे देश के लाखों व्यक्ति आते हैं और हमारी सरकार ने उनके लिये सभी सम्भव सुखसुवि-धाओं की व्यवस्था करने में कोई भी कोर कसर नहीं उठा रखी थी। प्रबन्ध बहुत सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था और जिन व्यक्तियों ने भी उस प्रबन्ध को समीक्षापूर्वक देखा उन्होंने उसकी सराहना की। हमारे सभी प्रयत्नों का ऐसा दुखद अन्त हुआ इस बात से हमें और भी अधिक क्षोभ है। जो व्यक्ति इस दुर्घटना के शिकार हुये हैं उनके परिजनों के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति और समवेदना है। उन कारणों को ढूंढ़ निकालने के लिये जिनके फलस्वरूप यह हृदय विदारक दुर्घटना आ पड़ी और भविष्य में यथासंभव ऐसे सभी उपाय करने के निमित्त जिससे ऐसी आपदायें न होने पायें, हमारी सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो सम्पूर्ण विषय पर विचार करके सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समिति के कार्य को सुकर बनाने के निमित्त प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक सहयोग और साहाय्य मिल सकेगा।

३—विधान मंडल के वर्तमान कार्यकाल में विधान मंडल में और उसके बाहर भी पर्याप्त कार्य हुआ। वर्तमान विधान मंडल मई, १९५२ में सामान्य निर्वाचनों के फलस्वरूप बना। तब से अब तक सामान्य व्यक्ति के वर्तमान जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। इस अल्प अवधि में की गयी यह उन्नति हम सब के लिये संतोष का विषय है।

४—विधायक क्षेत्र में बहुत से अधिनियम बनाये जा चुके हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, जिसका उद्देश्य है आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ संबंधी भूमियों के प्रदान और बन्दोबस्त को सुकर बनाना, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, जिसमें जोतों पर वास्तविक कब्जा रखने वाले कृषकों की बेदखली से रक्षा की गयी है, तथा आगरा युनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम, जिसका लक्ष्य है विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उच्चतर शिक्षा के स्तर को सुधारना। कस्बा नगरों में नगरपालक निगमों की स्थापना की ओर आपने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, पारित करके पग बढ़ाया है।

यहां पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ भी उल्लेखनीय है। इसके द्वारा चीनी मिलों में गन्ने के उपयुक्त वितरण तथा गन्ना उत्पादक के लिये उचित मूल्य की व्यवस्था की गयी है। लाभांश भोग की एक योजना जिसका लक्ष्य चीनी उद्योग में उत्पादक और विनिर्माणकर्ता के बीच लाभों का समुचित वितरण है, विचाराधीन है।

५—प्रथम बार राज्य के स्थानीय निकायों में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुये। ४१५ नागरिक क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकारियों का पुनस्संगठन किया गया जिसमें अध्यक्ष, सभापति तथा सदस्यों के रूप में ६,००० व्यक्ति चुने गये। लगभग ५० प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ६,००० पोलिंग बूथ बनाये गये। प्रशासन पर जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है काफी भार रहा और उसने उसे अच्छे ढंग से निबाहा। यद्यपि कुछ स्थानों पर लोगों में तनाव अवश्य रहा, किन्तु कहीं भी शांति भंग न होने पायी। हमारी

सरकार यह आशा करती है कि इन संस्थाओं में चुने गये प्रतिनिधि उस जनता की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के सम्मिलित लक्ष्य से काम करेंगे, जिसने उन्हें चुना है। कबाल नगरों में प्रशासक निगमों की स्थापना सुकर बनाने की तय्यारी में व्यस्त हैं।

६--विभिन्न नगरपालिकाओं में जलनिकास तथा जलपूर्ति का सुधार परमावश्यक है। अभी तक इस प्रयोजन के लिये हमारे पास न तो ठोस कार्यक्रम था और न योजना। यह कठिनाई अब दूर हो गयी है और पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। राष्ट्र की पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजनाओं के लिये उपयुक्त व्यवस्था है। यह आशा की जाती है कि १५ वर्तमान जलकल केन्द्रों का, जो समय के अनुरूप नहीं रह गये हैं, पुनरुद्धार तथा ७ नगरों में पानी के निकास की योजना पूर्ण होने के अतिरिक्त ६ नगरों में पानी की पूर्ति का नया प्रबन्ध हो सकेगा। उस योजना की सफलता बृहत् योजनाओं की सफलता का आधार बनेगी।

७--गत अक्टूबर-नवम्बर में लखनऊ की कुछ घटनाओं को छोड़कर, जिनका कुप्रभाव कई अन्य जिलों में भी हुआ, राज्य में आंतरिक शांति बनी रही। अभाग्यवश विश्वविद्यालय की स्थिति का कुछ राजनैतिक दलों ने पूर्णरूपेण राजनैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयोग किया और कुछ समाज विरोधी तत्वों ने विधिहीन कार्यों को संगठित करके लाभ उठाया। हमारी सरकार ने तत्परता से सप्रभाव उपायों द्वारा स्थिति को शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया।

८--राज्य के कुछ भागों में डाकुओं के कुकृत्यों से उत्पन्न चिन्ता बहुत कुछ हलकी रही और चरना, महाबीर और मेंहदी के कुख्यात गिरोह नष्ट कर दिये गये। मानसिंह के गिरोह का सफाया करने का दृढ़ प्रयास हो रहा है। जनता ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा समितियों के संगठन में दिलचस्पी ली है। कुछ लोगों ने डाकुओं के हमलों का सामना करने, घमासान मुकाबलों में वीरता से काम लेने और अपराधियों को पकड़ने में ठोस और वास्तविक कार्य किया है।

९--जेल प्रशासन सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। गत वर्ष एक प्रयोग हुआ था जिसमें बन्दियों के नैतिक स्तर तथा उनके प्रति व्यवहार को सुधारने के निमित्त उन्हें चन्द्र प्रभा नदी पर बांध निर्माण में स्वच्छन्दता से कार्य करने दिया गया था। सफलता से प्रोत्साहित होने पर बनारस जिले में कर्मनाशा पर बांध निर्माण के लिये एक और शिविर चालू किया गया, जहां पर २,००० बन्दी अन्य श्रमिकों के साथ मिलजुल कर कार्य करते रहे हैं और उन्हीं की भांति वेतन कमाते हैं। स्त्री बंदियों के सुधार के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है। आदर्श जेल लखनऊ का एक खंड दीर्घ अवधि वाले बंदियों के लिये पृथक रूप से नियत कर दिया गया है और वहां उन्हें उपयोगी धन्धों की प्रशिक्षा दी जायगी, जिससे जेल से छूटने के बाद वे जीविका का उपार्जन कर सकें तथा लाभप्रद कार्य करते हुये विधि के अनुसार नागरिकों का जीवन व्यतीत कर सकें।

१०--राज्य की पंचवर्षीय योजना का सम्पादन लक्ष्यों के अनुरूप रहा है। जनता में अब जागृति उत्पन्न हो गयी है और वह योजना के प्रति सचेत है। जनता की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिये राज्य की योजना, जो आरम्भ में ८६ करोड़ की थी, १९५३ में काफी विस्तृत कर दी गयी। यह परिनिष्ठित योजना अब १३० करोड़ रुपये की है। जल-सिंचन, चालक शक्ति, शिक्षा, पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा औद्योगिक श्रमिकों एवं अल्पवेतन भोगियों के निवासस्थान की योजनायें सम्मिलित कर लेने के फलस्वरूप यह विस्तार हुआ है।

११--सामूहिक विकास एवं राष्ट्र विस्तार योजनाओं का सूत्रपात कर दिया गया है और उनकी जड़ें अब मजबूत हो रही हैं। हमारे राज्य को गत वर्ष १८ खंड वाली ६ विकास योजनाएं प्राप्त हुईं। ये सब स्थापित हो चुकी हैं। अक्टूबर, १९५३ में गांधी जयन्ती के दिन १९५३-५४ में स्वीकृत ८ अतिरिक्त खंड चालू किये गये थे। २६ सामूहिक विकास खंडों का विस्तार ६,००० वर्गमील में है और २६ लाख जनता से सम्बद्ध है। कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज शिक्षण आदि नियोजन के सभी कार्यक्षेत्रों में कार्य प्रशिक्षा प्राप्त विशेषतः योग्य कार्यकर्त्ता इन विकास क्षेत्रों में नियुक्त किये गये हैं। इनकी सहायता के लिये प्रत्येक खंड के मुख्यावास में विशेषज्ञों की एक टोली रहती है। उन्नत बीजों, उपकरणों, रासायनिक

उर्वरकों तथा खादों के वितरण का व्यापक रूप से कार्य आरम्भ कर दिया गया है। खाद की आधुनिक परिपाटी भी प्रचलित कर दी गयी है। बीज व्याप्ति योजना की अच्छी प्रगति हुई है और यह आशा की जाती है कि गेहूं, धान, मटर और मक्का के संबंध में पूर्णतः तथा चना, जौ और आलू के संबंध में ६० प्रतिशत व्याप्ति वर्ष के भीतर ही हो जायगी। उन्नत कृषि कला एवं उपकरणों को प्रचलित किया गया है। नकदीवाली फसलों (Cash crops) तथा उद्यानकरण पर भी विचार किया गया है। सिंचाई को उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है और लगभग ५२,००० एकड़ भूमि सिंचाई में आ चुकी है। यह आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों में योजनाओं के कुल क्षेत्र के ५० प्रतिशत में सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी। महामारी और पशुरोग बहुत कम हो गये हैं और प्राथमिक सहायता एवं धात्रि-सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है।

१२—इन क्षेत्रों में समृद्ध के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये आत्म साहाय्य के आधार पर संचार साधनों का विकास हो रहा है। वयस्क साक्षरता, कक्षाओं, छायाचित्रों, प्रतियोगिताओं, अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविरों, दृश्य प्रेक्षणों, किसान मेलों और कार्यकर्त्ता-शिविरों द्वारा सामाजिक शिक्षा दी जा रही है। विशेषतः बेकारी की समस्या दूर करने के निमित्त गृह-उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामूहिक विकास योजना क्षेत्रों की जनता में आत्मविकास की प्रेरणा स्पष्ट है।

१३—योजना समाप्ति तक राज्य में ११० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित करने का प्रस्ताव है। १० ऐसे खंड अक्टूबर, १९५३ में गांधी जयन्ती के दिन खुले थे और लगभग २४ गत गणतंत्र दिवस पर। इस वित्तीय वर्ष के अवसान तक इस राज्य के प्रत्येक जिले में या तो एक सामूहिक विकास योजना अथवा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड होगा।

१४—सामूहिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के सूत्रपात से कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की योजना का विस्तार आवश्यक हो गया है। मई, १९५२ में भारत सरकार के प्रबन्धाधीन तथा फोर्ड संस्थान के साहाय्य से बख्शी के तालाब में उसका समारंभ हुआ था। तब से उक्त प्रबन्ध में ही पांच और केन्द्र खुले हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने १३ प्रशिक्षण केन्द्र इस वर्ष चलाये हैं। आशा की जाती है कि उक्त केन्द्रों में १६,००० के लगभग क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता ५ वर्ष समाप्त होते-होते प्रशिक्षित हो जायेंगे।

१५—गत वर्ष संचालित श्रमदान का आन्दोलन अत्यन्त सफल रहा और उसके विषय में उत्साह आश्चर्यजनक रहा। सफलता की इस सीमा की आशा बहुत से आशावादियों को भी न थी। प्रान्तीय रक्षक दल ग्रामीण क्षेत्रों में अनुशासित नवयुवकों का संगठन सिद्ध हुआ और श्रमदान में अग्रणी रहा। विगत गणतंत्र सप्ताह में श्रमदान का परिणाम अत्यन्त उल्लेखनीय रहा। ग्राम-क्षेत्रों में सामाजिक दशाओं के सुधार एवं सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण-कार्य के संबंध में ग्राम पंचायतों का सहयोग समान रूप से ठोस रहा।

१६—कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है और कुछ समय तक रहेगी। अतएव कृषि के विस्तार, उत्पादन की अभिवृद्धि, कृषि कला एवं उपकरणों के सुधार, अच्छे खादों की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधायें, और उद्यानकरण के विस्तार की ओर समुचित ध्यान दिया गया है। लाभप्रद स्पर्धा को प्रेरित करने के लिये फसल प्रतियोगिता योजनायें पुनरीक्षित हुई और सुधारी गयीं। इसमें ७८,३३४ उत्पादकों ने भाग लिया और ऐसे लोगों को, १,३८,४०० रुपये के पारितोषिक दिये गये। पारितोषिक प्राप्त अधिकतम धान की उपज ५७॥ मन प्रति एकड़, गेहूं की ६१ मन प्रति एकड़ और आलू की ७४८ मन प्रति एकड़ थी। कुछ जिलों में रुई के कृषिक्षेत्र में उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के हेतु वैसी ही पारितोषिक योजनायें प्रचलित की गयीं। उद्यानकरण के संबंध में एक लाख से अधिक फलवृक्ष लगाये गये। मैदानी क्षेत्र में १२ और कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्र में ९ पोषण वाटिकायें अर्थात् नर्सरी प्रचलित की गयीं।

१७—पशु-विकास और विशेषतः गौ और गोवंश का विकास किसी भी कृषीय-अर्थ व्यवस्था में अन्य कार्यकलापों से पीछे नहीं रह सकता। नियोजन के इस पहलू पर हमारी

सरकार ने उचित ध्यान दिया है। ऐसे ग्राम खंडों में जिनमें लगभग २० गांव हैं, और २०,००० पशु रहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। निकम्मे बैलों और अवांछनीय पशुओं का क्लीबीकरण और रोकथाम की जा सकने वाली पशुओं की संक्रामक बीमारियों का निरोधन किया गया। पशु बाजारों के उपयुक्त नियंत्रण और विनियमन के निमित्त हमारी सरकार शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है। पशु विकास के कल्याण-कार्यों के लिये ऐसा विनियमन आवश्यक है।

१८--सिंचाई, कृषीय अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है और इस पर अधिकतम ध्यान देना उचित ही है। गत दिसम्बर में रंगवा बांध जिस से ९०,००० एकड़ भूमि सिंच सकेगी, पूर्ण हो चुका है। हमीरपुर जिले का अर्जुन बांध आगामी जून तक पूरा हो जायगा। राज्य में नलकूपों के निर्माण में भी द्रुत प्रगति हो रही है। इस वर्ष ९०० नलकूप बने और मार्च, १९५३ की समाप्ति तक २,६११ नलकूप चालू थे। ८३,८५,००० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो रही है जिसमें २०,०९५ मील सिंचन प्रणालियां फैली हुई हैं। इस वर्ष मार्च की समाप्ति तक ४३० मील सिंचन प्रणालियां और बढ़ जायंगी तथा ६०० नलकूप और बढ़ जायेंगे। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र ८६,८५,००० एकड़ हो जायगा।

१९--रिहन्द बांध योजना में २,४०,००० किलोवाट शक्ति अधिष्ठित करके चालक शक्ति को राज्य सरकार प्रगति देना चाहती है। इसमें लगभग ३५ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना से पूर्वी जिलों में कृषि, गृहस्थी तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली मिल सकेगी। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में विस्तार होने के कारण १५,००० किलोवाट शक्ति और मिल सकेगी। आशा की जाती है कि यह योजना निकट भविष्य में पूर्ण हो सकेगी।

२०--नयी सड़कों और पुलों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। इस वर्ष ५०० मील नयी सड़कें बनीं और चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ९० मील और बन जायंगी। जहां तक कच्ची सड़कों का संबंध है, मिट्टी का काम, एवं पुलों और पुलियों का काम ७०० मील में पूरा किया जा चुका है। कई बड़े नये पुल भी बन रहे हैं।

२१--देश विभाजन के फलस्वरूप अपने घरों से विस्थापित अपार जन समूह के लिये सहायता और सुरक्षा की व्यवस्था करने की समस्या उत्पन्न हुई। हमारी सरकार के अनवरत प्रयास इस दिशा में सफल हुये हैं और प्रायः सभी लोगों को काम और मकान मिल गया है। इन व्यक्तियों को निवास एवं जीवन की समुचित सुख-सुविधायें प्रदान करने के लिये आदर्श उपनिवेश और नगर बन गये हैं। हमारी सरकार ने १०,००० से अधिक मकान और ३,००० से अधिक दुकानों का निर्माण कर लिया है। लगभग २,००० मकानों और उतनी ही पक्की दुकानों के निर्माण का कार्यक्रम बन गया है। स्थानीय निकायों और गृह सहकारी समितियों ने एक करोड़ रुपये से अधिक ऋण की सहायता से निर्माण कार्य द्वारा विस्थापितों को बसाने में पर्याप्त योग प्रदान किया है।

२२--हमारी सरकार की उपनिवेशन योजना सफल हुई है और इससे देश के खाद्य-साधनों की वृद्धि हुई है। इसने पुराने सैनिकों, राजनैतिक पीड़ितों, विस्थापितों, भूमिहीन किसानों और कृषि स्नातकों को बसाने में पर्याप्त सहायता दी है। २ लाख एकड़ से अधिक भूमि पर खेती होने लगी है और कई हजार परिवार बस गये हैं।

२३--राज्य में मलेरिया से बहुत उत्पीड़न हुआ है और इसके द्वारा न केवल लोगों को कष्ट ही हुआ है, अपितु मानव शक्ति का आर्थिक ह्रास हुआ है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ने पीली-भीत, खेरी, बहराइच, मिर्जापुर और रामपुर में ५ मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यूनिटें स्थापित की हैं। इन प्रयासों की अनुपूर्ति के रूप में राज्य सरकार ने उपनिवेशों और तराई भावर क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के उपाय किये हैं। मातृत्व तथा शिशु कल्याण योजना के विस्तार

रूप में लखनऊ और आगरा में अगले तीन वर्ष की अवधि में ५० पलंग वाले २ अस्पताल और २०० नये मातृत्व तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोले जायंगे।

२४--आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम आपने पिछले सत्र में पारित किया था। इस अधिनियम के उपबन्धों से वे त्रुटियां दूर हो जायंगी, जो देखने में आयी थीं और मुझे आशा है कि नये विधान (measure) से अपेक्षाकृत अच्छे प्रशासन का आविर्भाव होगा। ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों का पुनर्गठन किया जा सके।

२५--शिक्षा पद्धति के सम्पूर्ण ढांचे की ओर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। उद्देश्य यह है कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाय तो शिक्षा संस्थाओं से छात्र के निकलने के बाद उसके लिये वास्तव में लाभप्रद हो और जिससे वह अपनी जीविका उपार्जित कर सके और साथ ही उस भार को भी ग्रहण कर सके, जो देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस पर अनिवार्यतः पड़ता है। शिक्षा पद्धति में व्यावसायिक तथा दस्तकारी की शिक्षा के दृष्टिकोण को स्थान देना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को क्रमशः बहुधंधी स्कूलों में परिणत करना होगा। आवश्यक विधायक (legislative) सुधार इस वर्ष के भीतर ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जायगा।

२६--प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में भी पुनस्संगठन की आवश्यकता है। विचार है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के साथ फार्मों की भी व्यवस्था की जाय जिससे कि कृषि तथा उद्यानकरण की व्यावहारिक शिक्षा पाने वाले छात्र स्कूलों की आय में भी वृद्धि कर सकें। इस वर्ष यथासम्भव अधिक से अधिक स्कूलों के लिये भूमि प्राप्त करने तथा उनमें साज-सामान की व्यवस्था करने की दिशा में दृढ़ता के साथ प्रयत्न किया जायगा। इससे ३,००० नये योग्यता-प्राप्त अध्यापकों को भर्ती करने में सहायता मिलेगी और साथ ही इस हद तक शिक्षितों की बेरोजगारी की समस्या भी इससे हल होगी।

२७--कच्चे माल की कमी, अत्यधिक स्टाक के जमा हो जाने और कभी-कभी वित्तीय कठिनाइयों से, राज्य के उद्योगों के निर्विघ्न संचालन में बाधा पहुंची है, जिसके फलस्वरूप आंशिक रूप से मिल बंदियों (Closures), हड़तालें, ताला बंदियां, छटनियां और बैठकियां (playoffs) हुई। सामान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और इस प्रकार संघर्ष के अवसरों को कम करने के उपयोगी साधन के रूप में, त्रिदलीय संगठन (Tripatite machinery) का उपयोग किया गया। सूती कपड़े तथा चीनी के कारखानों में अभिनवीकरण (rationalization) तथा पुनस्संगठन की समस्या, श्रमिक कल्याणकाय के प्रसार तथा मालिकों और श्रमिकों में अच्छे संबंध बढ़ाने की ओर समुचित ध्यान दिया गया। अभिनवीकरण संबंधी कार्य के लिये श्रम कमिश्नर के कार्यालय में एक कार्यदक्षता (efficiency) उप-विभाग खोला गया।

२८--औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृह-निर्माण कार्य में उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई। चीनी के कारखानों के मजदूरों के लिये मकान बनाने की योजना का उद्देश्य श्रमिकों के लिये १,५०० क्वार्टर बनाना है। ३४ कारखानों में अब तक ६०० क्वार्टर बनकर तैयार हो चुके हैं। कानपुर और लखनऊ में श्रमिकों के लिये ६,५०० से अधिक क्वार्टर बनाने की योजना है, जिनमें से २,००० क्वार्टर कानपुर में अब तक बन चुके हैं। आगामी वर्ष में आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस में क्वार्टर बनाने का काम हाथ में लिया जायगा और साथ ही कानपुर में गंदी बस्तियों की सफाई की बड़ी योजना को चालू करने का काम भी हाथ में लिया जायगा। औद्योगिक गृह-निर्माण योजना को गंदी बस्तियों की सफाई के आन्दोलन से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है।

२९—मेहतरों के लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य की नगरपालिकाओं के नगरों में उनके लिये ३२·२५ लाख रुपये की लागत से २,१५० रहने के मकान बनाने का विचार कर रही है।

३०—निस्सन्देह आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मिर्जापुर क राजकीय सीमेंट कारखाने के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई है। इस वर्ष के लगभग मध्य तक यह कारखाना चालू हो जायगा। इसमें प्रतिवर्ष २ लाख टन से अधिक पोर्टलैन्ड सीमेंट तैयार होगा और इससे उत्तर प्रदेश में, जिसमें अभी तक सीमेंट का कोई कारखाना नहीं था, सीमेंट की मांग एक बड़ी हद तक पूरी होगी। जब इस कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा, तो सरकार के विकास कार्यक्रम की प्रगति काफी बढ़ जायगी।

३१—न्याय प्रशासन की प्रक्रिया को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। कुछ दीवानी कानूनों में संशोधन करने का एक विधेयक पहले ही से आपके सामने है। समिति की सिफारिशों के अनुसार अन्य कानूनों में संशोधन करने के एक विधान पर विचार हो रहा है और वह यथा-सम्भव आपके सामने प्रस्तुत किया जायगा। इस विषय पर भारत सरकार भी ध्यान दे रही है।

३२—हमारी सरकार अनुसूचित और पिछड़ी जातियों तथा भूतपूर्व अपराधशील वर्गों की दशा सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न करती रही है। सुधार कार्यों पर होने वाला व्यय १९४६-४७ ई० में लगभग ५ लाख रुपये से बढ़कर १९५२-५३ ई० में लगभग ४९.६२ लाख रुपया हो गया। यह प्रस्ताव है कि बक्शी-का-तालाब ट्रेनिंग सेंटर के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये दो अतिरिक्त टेक्निकल सेंटर स्थापित किये जायं तथा भूतपूर्व अपराधशील जातियों से सम्बद्ध समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिये और उन्हें भूमि पर फिर से बसाने के लिये एक बोर्ड का निर्माण किया जाय। देहरादून जिले के जौनसार बावर और टेहरी-गढ़वाल जिलों के रवाई-जौंसवार के पिछड़े हुये क्षेत्रों में कतिपय सामाजिक कुरीतियों तथा कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिये भी विशेष कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा रही हैं। मिर्जापुर जिले की पिछड़ी जातियों में शिक्षा संबंधी कार्यवाहियां और प्रगाढ़ रूप से चलाने का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है।

३३—हमारी सरकार के कहने पर, देवनागरी लिपि सुधार का अखिल भारतीय सम्मेलन अभी हाल में भारत के उप-राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन के सभापतित्व में लखनऊ में हुआ था। उसमें राज्यों के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री और विशेषज्ञ उपस्थित थे। उसकी कार्यवाहियां पूर्ण सद्भावना के वातावरण में हुईं और सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये। सम्मेलन के सफलता पूर्वक समाप्त होने का श्रेय एक बहुत बड़े अंश में हमारे मुख्य मन्त्री को प्राप्त है।

३४—स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद, जिसमें पूर्ण रूप से पुलिस राज्य बदलकर कल्याण-कारी राज्य हो गया है, सरकार के कृत्यों के बदलने के साथ-साथ, प्रशासकीय सेवाओं के कृत्य भी मौलिक रूप से बदल गये हैं। नयी व्यवस्था में ऐसे कार्यकुशल तथा ईमानदार अफसरों की आवश्यकता है जो सामान्य समृद्धि प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रायः मिशनरियों की जैसी भावना से प्रेरित होकर काम करें। आनुशासिक कार्यवाही जांच समिति ने, जो भ्रष्ट सरकारी कर्म-चारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बद्ध नियमों तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से तथा सेवाओं की कार्यकुशलता और ईमानदारी संबंधी समस्याओं पर सिफारिशें करने के प्रयोजन से स्थापित की गयी थी, प्रायः अपना कार्य समाप्त कर लिया है। हमारी सरकार यह आशा करती है कि उसके लिये इन सिफारिशों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना सम्भव होगा जिससे एक विशुद्ध प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य शीघ्रता के साथ पूरा हो जाय।

३५—यहां पर मुख्य मंत्री द्वारा किये गये, उन विशेष प्रयत्नों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है जो उन्होंने, कार्यकुशलता को ठेस पहुंचाये बिना, सरकारी व्यय में मितव्ययता करने के लिये किये हैं। पंचवर्षीय योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने के लिये

बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और मुख्य मंत्री द्वारा अफसरों से व्यक्तिगत रूप से की गयी अपील तथा उनके साथ किये गये परामर्श स्वरूप काफी बचत कर ली गयी है। इस उद्देश्य से कि ऐसी सभी कार्य विधियां, जिनके द्वारा सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है, समाप्त कर दी जायं। सरकार ने एक विशेष मितव्ययता विभाग भी खोल दिया है।

३६—हमारी सरकार ने धीरे-धीरे नियंत्रण हटाने की नीति जारी रखी है। विगत मई मास में २६ नगरों में राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। उसके बाद भी १२ और नगरों में विगत अक्टूबर मास से राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। इस कैलेंडर वर्ष के आरम्भ से शेष २४ नगरों में भी राशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब किसी भी नगर में राशन व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार ने विगत जनवरी मास से सभी प्रकार के मोटे अनाजों पर से नियंत्रण पूरी तौर से हटा लिया है और अब उनके बारे में केवल यही प्रतिबन्ध है कि उन्हें बनारस फूड रीजन के ११ कमी वाले जिलों से बाहर नहीं भेजा जा सकता। मोटे अनाजों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जो प्रतिबन्ध थे वे भी हटा लिये गये हैं।

३७—अब मैं उस कार्य का उल्लेख करता हूं जो इस सत्र (Session) में आप लोग करने जा रहे हैं। पहले बजट लिया जायगा। अगले वित्तीय वर्ष के तखमीने और चालू वर्ष के शेष पूरक तखमीने अब तैयार हैं, और शीघ्र ही आप के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। सम्बद्ध विनियोग विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, जिससे कि वे सदैव की भांति वित्तीय वर्ष के अन्त होने के पहले पारित किये जा सकें। जो विधान प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें एक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक है, जिसका उद्देश्य जमींदारी के विनाश के पश्चात् निष्क्रांत सम्पत्तियों के प्रशासन से सम्बद्ध कुछ कठिनाइयां दूर करना है। दूसरा विधान शिक्षा-निधि-न्यास विधेयक (शिक्षा निधि ट्रस्ट बिल) है, जिसका उद्देश्य यह है कि काशी विद्यापीठ की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिये किये गये समझौते को मान्यता दी जाय। एक अन्य विधान भी जिसका नाम ऐच्छिक विकास अंशदान विधेयक (वालन्टरी डेवेलपमेंट कन्ट्रीब्यूशन बिल) है, आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा। इस विधेयक का प्रयोजन ऐच्छिक अंशदान द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण कार्य किये जाने के लिये सुविधायें देना है। अनुभव से यह पता चला है कि सार्वजनिक प्रयोजनों और सार्वजनिक उपयोगिता के निमित्त बनी हुई कम्पनियों के लिये अनिवार्य रूप से भूमि प्राप्त करने से सम्बद्ध विधि आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुये सब प्रकार से उपयुक्त नहीं है। यह विचार करने के लिये कि उक्त विधि में क्या संशोधन किया जाय, हमारी सरकार ने मई, १९५२ ई० में एक समिति इस उद्देश्य से नियुक्त की थी कि वह अन्य बातों के साथ-साथ लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट (भूमि प्राप्त करने के अधिनियम) के अधीन व्यवहारों (Cases) के निस्तारण में देरी होने के कारणों की जांच करे और उसके संबंध में रिपोर्ट दे। उस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप इस ऐक्ट (अधिनियम) का संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा। पंचायत राज्य ऐक्ट (अधिनियम) में, जो १९४७ ई० में पारित हुआ था, महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिये भी एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा। इन संशोधनों में जिस प्रकार की बातों का समावेश होगा वे ये हैं:—पंचायतों का संगठन, उनके कर्त्तव्य तथा अधिकार और उनका बाह्य नियंत्रण।

गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस, को विश्वविद्यालय में परिणत करने के निमित्त एक विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत करने का भी विचार है। यथार्थ में इस विधान से यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि इस समय न्यूनाधिक रूप में जो बात एक तथ्य बन चुकी है, उस पर विधि की मुहर लग जाय।

हिन्दुओं में कुछ पूजा के स्थानों के समुचित प्रशासन तथा धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये प्रदत्त निधि के समुचित उपयोग की आवश्यकता की ओर हमारी सरकार का ध्यान प्रायः आकृष्ट किया गया है। इस सम्पूर्ण प्रश्न के जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के

कार्य में एक अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। आवश्यक सूचना के इकट्ठा होते ही, सरकार अपने प्रस्ताव आपके समक्ष रक्खेगी।

३८—आपसे इस सत्र में यू० पी० कैटिल ट्रेसपास (संशोधन) विधेयक, १९५४ और कुछ अन्य विधेयकों पर भी विचार करने के लिये कहा जायगा।

३९—जैसा कि आप देखेंगे, हमारी सरकार परिस्थितियों और साधनों के देखते हुये यथासंभव शीघ्रता से राज्य को समृद्ध और सुखी बनाने के अपने मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचने का भरसक प्रयत्न कर रही है। बाधायें और कठिनाइयां भी सामने आती रहती हैं। किन्तु सफलता की ओर बढ़ने के लिये कोई सुगम मार्ग नहीं है, बाधायें दृढ़तापूर्वक किये जाने वाले प्रयत्नों की कसौटी होती हैं। हमारी सरकार आपसे—विधान मंडल के सदस्यों से—और आपके द्वारा राज्य की जनता से यह आशा करती है कि आप सब उत्तरदायित्वपूर्ण आलोचना तथा रचनात्मक सहायता द्वारा सहयोग देंगे। जनता की सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह निर्धनता तथा अभाव दूर करने के लिये हर प्रकार से प्रयत्न करे और साथ ही स्वयं जनता का भी यह कर्त्तव्य होता है कि वह इस प्रयत्न में इस प्रकार से योग दे कि सफलता प्राप्त करना सुगम हो जाय।

४०—इस समय विशेष रूप से हमारे देश को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा के उस पार ऐसी घटनायें हो रही हैं जिनका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना अत्यावश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक है, लेकिन इससे भी बड़ी मांग यह है कि राष्ट्रीय एकता कायम रहे और एकनिष्ठ होकर राज्य की सुस्थिरता बनायी रक्खी जाय तथा उसके साधनों का विकास किया जाय। मुझे इसमें किंचित सन्देह नहीं है कि हममें से हर कोई, चाहे उसका कार्य क्षेत्र इस सदन में हो या इसके बाहर, अपने और अपने देश के प्रति इस सर्वोपरि कर्त्तव्य का निःस्वार्थ भाव से और उत्साहपूर्वक पालन करेगा।

४१—अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने जो कार्य हैं, उनको अडिग उत्साह से करने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करे।

जय हिन्द !

(११ बजकर ४५ मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मंडल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक सभा मंडप में दिन को २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि देवरिया जिले की कप्तानगंज, गौरी बाजार और बैतालपुर मिलों पर गन्ना उत्पादकों की २० जनवरी से हड़ताल के कारण गन्ना मिलना बन्द हो गया है?

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—जी नहीं।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में उसने क्या कार्यवाही की है?

श्री हुकुम सिंह—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या यह सही है कि सचमुच उन मिलों में गन्ना बन्द हो गया था और इसकी सूचना प्रान्तीय सरकार को मिल मालिक और अधिकारियों ने नहीं दी थी ?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि २० जनवरी को देवरिया जिले की शुगर मिलों में अलग-अलग कितनी गाड़ियां आयी थीं ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी डिटेल बताना मुश्किल है लेकिन बहुत तादाद में आयी थीं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मिलों में अलग-अलग कितना मन गन्ना आया था ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी डिटेल बताना मुश्किल है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि कप्तानगंज, गौरी बाजार और बैतालपुर की मिलों में २० जनवरी को कितना मन गन्ना पेरा गया ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ थोड़ी देर के लिये रुका था, क्योंकि चन्द्रग्रहण की वजह से थोड़ी देर को पेरना रुका था नहीं तो वह पिरता रहा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना उत्पादकों की यह हड़ताल क्यों चलायी जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह—हड़ताली हड़ताल कर रहे हैं। गन्ना ग्रोवर्स तो गन्ना देना चाहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने गाड़ियों को जो गन्ना ला रही थीं उनको जबरदस्ती रोका और मिल तक नहीं जाने दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—ऐसी रिपार्ट आयी है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ गिरफ्तारियां हुईं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि गन्ना उत्पादकों के अतिरिक्त और कौन लोग हड़ताल कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—सोशलिस्ट पार्टी इसके अतिरिक्त हड़ताल कर रही है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो लोग गाड़ियां रोक रहे थे वह कौन लोग थे और किस पार्टी के थे ?

श्री हुकुम सिंह—वही लोग थे जिनको आप भी जानते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी का क्या कोई प्रस्ताव है कि वह पार्टी हड़ताल करेगी ?

श्री हुकुम सिंह—मैंने उनके अमल को देखकर ऐसा जवाब दिया।

श्री राजनारायण—क्या यह सही है कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग गन्ना उत्पादकों की हड़ताल में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—सहयोग नहीं दे रहे हैं बल्कि उनको मजबूर कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

राजनीतिक-पीड़ितों को पेन्शन

*१-श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इस वर्ष में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देना मंजूर किया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—सन् १९५३ में सरकार ने ६१ राजनीतिक पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की है।

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने लोगों को पेंशन मिलने लगी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—२६ व्यक्तियों को पेंशन मिलने लगी है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार कृपया बतलावेगी कि शेष ३५ व्यक्तियों को अभी तक पेंशन क्यों नहीं मिली तथा स्वीकृति होने के बाद पेंशन ६ महीने तक क्यों नहीं मिलती ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—एकाउन्टेंट जनरल के वहां से कई केसेज में अभी सर्टीफिकेट नहीं पहुंचे हैं जिनके आधार पर जिलों में अदायगी होती है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें पेंशन वाले लेने को नहीं गये हैं और एक आध केस ऐसा भी है जिसमें पेंशन मिलने वाले की मृत्यु हो गई है और पेंशन के लिये भी अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर तक की उनके लिये मंजूरी दे दी गयी थी। सर्टीफिकेट मिलने पर पेंशन दी जाती है और उसमें थोड़ा समय लग ही जाता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या कुछ ऐसे भी केसेज हैं कि कुछ राजनीतिक पीड़ित ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिये और व सरकार के नोटिस में नहीं आये हैं और अगर वे माननीय मंत्री के नोटिस में लाये जावें तो क्या वह उन पर विचार करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कई साल से इस बात की चर्चा बराबर चली आती है। जो खास तौर पर मदद चाहते थे उन्होंने तो तुरन्त ही इस बात के लिये दरख्वास्तें दे दी थीं और औरों ने उनके बारे में कहा। यद्यपि उसकी मियाद खत्म हो गई है मगर कोई खास केस ऐसे हों जिनमें यह मालूम हो कि जरूर कुछ करना चाहिये तो फिर देखते रहते हैं।

केसर शुगर मिल पर काश्तकारों के गन्ने का मूल्य तथा सोसाइटी कमीशन का बकाया

*३—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केसर शुगर मिल पर काश्तकारों के गन्ने की कीमत तथा सोसायटी कमीशन का रुपया पिछले साल का कितना बकाया है और वह बकाया बेबाक होने में कितना समय लगेगा ?

श्री हुकुम सिंह—इस मिल पर पिछले साल की गन्ने की कीमत या सोसाइटी कमीशन का कोई बकाया नहीं है।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस मिल पर अब भी गन्ने का रुपया वाजिब है जिनकी परची गुम हो गई है ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी कोई सूचनाँ नहीं है ।

पुरुषार्थी बच्चों की स्कूल की फीस

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पुरुषार्थी लोगों के विद्यार्थी बच्चों की फीस माफ करने के लिये उसे केन्द्रीय सरकार से कुछ रकम सालाना मिलती है ?

श्री हुकुम सिंह—हां ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि संबंधित विभाग से स्वीकृति न होने के कारण गत वर्ष उक्त बच्चों से फीस वसूल कर ली गई थी और कितने ही बच्चे फीस न दे सकने के कारण स्कूल से निकाल दिये गये थे ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है । अगर कोई केस बताया जाय तो मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा ।

इलाहाबाद की कुम्भदुर्घटना में हुतात्माओं के प्रति श्रद्धाञ्जलि

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुख है कि कुम्भ मेले के अवसर पर ३ फरवरी को प्रयाग में संगम के निकट एक दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में कई जानें चली गई हैं । बहुत सी तो उनमें औरतें थीं । कुछ थोड़े से बच्चे भी थे और कुछ थोड़े से बुड्ढे और कम जोर आदमी भी थे । मैंने उन मरी हुयी जानों की लाशों को, उसी तारीख को रात के वक्त देखा था और वह दृश्य अभी तक मेरे सामने है । उससे मुझे जो वेदना हुई अथवा उसकी याद आने पर होती है उसे मैं कह नहीं सकता । इस तरीके पर जो लोग कि पुनीत अवसर पर गंगा स्नान करने के लिये एक धर्म की प्रेरणा से गये थे उनको इस ढंग से अपना जीवन खोना पड़ा इसका मुझे अत्यन्त शोक और खेद है । मैंने जो देखा मुझे अभी तक उसकी स्मृति बनी हुयी है, इससे उसकी व्यथा अभी तक है । मैं नहीं जानता कि किन और लोगों को उन्हें उस तादाद में, जब कि वह वहां जमा थे, देखने का अवसर मिला हो, किन्तु उन्होंने देखा होगा कि मेला बहुत बड़ा था, लाखों आदमी वहां जमा थे । फिर भी हमें आशा थी कि वहां कोई भी दुर्घटना नही होगी । इतना बड़ा मेला शायद हमारे देश में तो कभी हुआ नहीं, मैं नहीं जानता कि किसी दूसरे देश में इस तरह का मेला कभी हुआ हो । उस मेले को जिन लोगों ने देखा, जिन विदेशियों ने देखा, उन्होंने भी वहां के इन्तजाम को सराहा उन्होंने कहा कि ऐसा तो अमरीका वगैरह में भी नहीं होता है जैसा कि उन्होंने यहां देखा । इससे हम लोगों को थोड़ा सा संतोष सा हो रहा था कि हमने अपने प्रदेश में एक प्रयास किया और उसमें किसी हद तक हम सफल हुए तथा यह आशा कर रहे थे कि अब कोई दुर्घटना नहीं होगी । मेला करीब करीब १० जनवरी से शुरू हो गया था और १४ जनवरी को जबकि संक्रांति थी, काफी भीड़ थी लेकिन ३ फरवरी तक मेले में कोई दुर्घटना नहीं हुयी । हम यह समझ रहे थे कि थोड़े दिन रह गये हैं, बल्कि उस दिन भी यह ख्याल था, जब तक हमें यह सूचना नहीं मिली थी कि मेला सब ठीक हो गया, अब इसमें कोई आशंका नहीं है । पर जब इसको सुना और सुनने के बाद देखा तो बहुत रंज हुआ और बहुत देर तक तबियत ऐसी रही । मैं ही नहीं वहां और भी जो लोग थे उनको भी बड़ा दुःख हुआ । किसी ने किसी को मारा नहीं था, न किसी का ऐसा कोई इरादा ही था, लेकिन जो बेचारे चले गये, उनकी जानें तो चली ही गयीं चाहे किसी का ऐसा

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कोई इरादा या विचार न रहा हो फिर भी वे तो चले ही गये, उनका दुःख तो है ही और उनमें बहुत से तो वे असहाय थे, ऐसे लोग थे जो दूसरों की उदारता और चैरिटी पर अपनी दिनचर्या करते थे और उसी सिलसिले में वहां जमा भी थे। ऐसे गरीबों और असहायों का निकल जाना भी दिल में ज्यादा संवेदना पैदा करता है कि ऐसे निर्बल और दुखी लोग इसमें पिस गये। जो मैंने देखा उससे बड़ा कष्ट हुआ। कई लोगों को चोटें भी लगीं और जिन्हें चोटें लगीं थीं उनको भी मैंने रात में देखा जो कि अस्पताल में थे और उनमें से इतनी बात कुछ तसल्ली की भी देखी कि बहुत ज्यादा चोट लोगों को नहीं आयी थी। जो कहीं फ्रैक्चर था या रिब के केसेज थे जैसा कि डाक्टरों का कहना था और उन्होंने बहुतों को दिखलाया भी कि ये सब अच्छे हो जायेंगे। आमतौर पर कई केस ऐसे हुए मगर उनको भी तकलीफ तो हुयी ही, उनको भी चोट तो लगी और वह चोट भी एक ऐसे अवसर पर लगी जबकि वे लोग एक खुशी के लिये गये हुए थे।

मेला एक आमोद का स्थान भी होता है। वहां आदमी पवित्र काम करने के लिये जाता है, मगर मनोरंजन की सामग्री भी वहां रहती है, जिसे अंग्रेजी में हालीडे मूड कहते हैं और वहां पर वे इसलिये जाते हैं कि थोड़ी देर के लिये बेफिक्री से अपना समय वहां व्यतीत करें और रोजमर्रा के गम और फिक्र से दूर हों। ऐसा सोच कर जो जाते हैं और उनकी जानें जब निकल जाती हैं तो बड़े दुख और बड़े वेदना की बात होती है। मेरा अन्दाजा है कि तीन सौ और चार सौ के बीच में लोगों की जानें गयीं। और संख्या चाहें जितनी भी हो जिनकी जानें गयीं उनके लिये तो बड़े भारी दुख की बात है और जो जानें चली गयीं वे तो गयीं, वे तो फिर आती नहीं। इसलिये इसका विवाद भी कि कितनी संख्या थी, या इतनी थी, इतनी नहीं थी इससे कोई खास ताल्लुक रखता नहीं है और न मैं उन पर कोई राय रखता हूं। इसके लिये ज्यादा कहने की इस वक्त कोई जरूरत भी नहीं है। जितनी भी संख्या हो, यह तो है ही कि वे जानें चली गयीं और अगर तीन सौ और चार सौ के बीच में ही जानें गयीं तो काफी गयीं और उसका हम सब को बड़ा भारी दुख है और बड़ी भारी वेदना है।

मैं समझता हूं कि हमारे ही प्रदेश के नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इससे दुखी हुए और दूसरे देशों के राज्य मंडल के प्रतिनिधियों ने भी अपनी-अपनी समवेदना भेजी तथा हमारे देश के प्रमुख पुरुषों ने भी भेजी। मैं समझता हूं कि जो हमारे दुखी भाई हैं उनको इससे काफी सान्त्वना मिली होगी, यह जान कर कि हमारे दुख से औरों को भी वेदना हो रही है। हमारे लिये भी वह कुछ मरहम का काम करने वाली बात थी और मैं उन सब का अनुगृहीत हूं, उन सब का मशकूर हूं जिन्होंने हमारे साथ समवेदना प्रकट की। बहुत सी सेवा समितियां तथा बहुत से स्वयंसेवक और कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने जब यह दुर्घटना हुयी तो उसमें भी काम किया और लोगों को बचाया भी। उन सब ने उद्योग करके लोगों की जानें बचायीं इसके लिये मैं उन सब का भी अनुगृहीत हूं। लोगों की जानें तो चली ही गयीं और यह बड़े दुख की बात है और हमारे इस सदन के प्रत्येक सदस्य को इसका दुख है। चाहे नागहानी एक्सिडेंट हो या कुछ भी हो उससे हम वेदना प्रकट करते हैं इस बीच में और भी बाज घटनायें हो चुकीं। हमारे प्रदेश में राबर्टसगंज के करीब रेल की दुर्घटना हो गयी है। उसमें भी कुछ लोगों की जानें चली गयीं और कुछ को चोटें लगीं। उससे भी हम लोगों को दुख और वेदना है। हम उनके लिये, कुम्भ के मेले के अवसर पर जिनकी जानें गयीं या जिनको चोटें लगीं उन सब से पहले समवेदना सदन की ओर से प्रकट करते हैं और जहां तक सम्भव हो इससे मैं समझता हूं सभी लोग कुछ आगे के लिये सबक सीखने की कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी दुर्घटना फिर कभी न हो इसकी प्रार्थना करेंगे और इसका उद्योग करेंगे। एक कमेटी इस बात के लिये बना दी गयी है ताकि वह इस मामले में पूरी तरह से देखभाल करे। जो कुछ हुआ और

आइन्दा के लिये भी क्या और किया जा सकता है यह भी बतलावें। पर इस समय तो हमें जो हुआ उसके लिये समवेदना प्रकट करनी है और मुझे इस सदन की ओर से मैं समझता हूं यह कहने की इजाजत है कि हम सभी लोग इस घटना से बड़े दुखी हैं और हमारी समवेदना उन सभी परिवार वालों से है जिनसे इनका कोई सम्बन्ध था और है और जो चले गये हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले यही हम सब चाहते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कुम्भ के अवसर पर जो दुर्घटना हुयी थी उसके सम्बन्ध में श्री कल्याण चंद जी मोहिले ने एक शोक प्रस्ताव रखा था। वह आपकी सेवा में उन्होंने समय से दे भी दिया था। तो मैं समझता हूं कि अगर वही शोकसूचक प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो जाता और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण किया वह उसी प्रस्ताव से सम्बद्ध हो गया होता तो अच्छा होता। मैं समझता हूं वह नहीं किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रोसीजर है? क्या उनका कोई प्रस्ताव था जिस पर मुख्य मंत्री जी ने भाषण किया या स्वतंत्र रूप से यों ही उन्होंने कुछ कहा।

श्री अध्यक्ष---साधारण नियम यह है कि शोक प्रस्ताव सदन में लाये जाते हैं तो उसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं होना चाहिये। इसलिए नेता सदन अगर स्वयं ही ऐसा प्रस्ताव लाने की इच्छा प्रकट करें तो वह ला सकते हैं। यदि नेता सदन के पास यह सूचना भेज दी जाती है कि इस प्रकार की सदन की इच्छा है तो वह सदन की तरफ से शोक प्रस्ताव उपस्थित कर देते हैं। यह तरीका आज तक रहा है। तो उसी तरह से जो मोहिले साहब का प्रस्ताव था वह नेता सदन के पास भेज दिया गया था जैसा मैंने आप से कहा। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह स्वयं इस विषय को सदन की तरफ से पेश कर देंगे क्योंकि वह सदन के नेता हैं। उन्होंने उसे किया और अपनी समवेदना प्रकट कर दी। और दलों के नेता जो हैं वे अपनी समवेदना प्रकट करना चाहें तो अब कर सकते हैं और इसीलिये मैंने आपको इस बात की इजाजत दी है कि आप भी उनके साथ अपनी समवेदना प्रकट कर सकते हैं। आप इस सम्बन्ध में नियम १७३ देखिये।

श्री राजनारायण---श्रीमान्, कल्याणचन्द जी मोहिले का जो प्रस्ताव था उसके दो अंश थे।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये नोटिस की आवश्यकता रहती है।

श्री राजनारायण---तो नोटिस तो उसके लिये ठीक थी।

श्री अध्यक्ष---लेकिन कंडोलेंस रिजोल्यूशन के लिये किसी नोटिस की आवश्यकता तो नहीं होती।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, उस प्रस्ताव के लिये क्या व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष---अब वह प्रस्ताव नहीं आयेगा। जो संकल्प माननीय नेता सदन ने अभी दिया है उसके साथ जो एसोशियेट करना चाहें वह कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कर दीजिये।

श्री राजनारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन फरवरी को कुम्भ के इस महापर्व के अवसर पर जो महान् दुर्घटना हुयी उससे हम सभी लोग शोकसंतप्त हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि कुम्भ के इस महान् पर्व के अवसर पर बहुत कुछ विशेषतायें वहां उपस्थित की गयी थीं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि झूंसी

[श्री राजनारायण]

बहुत ही रमणीक स्थान बनाया गया था। वी० आई० पी० कैम्प की भी व्यवस्था की गयी थी और सड़कें भी आने जाने के लिये अच्छे रूप से निर्मित की गयी थीं। और, श्रीमन्, गंगा पर झूंसी साइड से आने के लिये और संगम से जाने के लिये ६ पुल भी बनाये गये थे। आबजर्वेशन टावर्स भी, श्रीमन् उस अवसर पर बनाये गये थे। बहुत से प्लेटफार्म्स भी बनाये गये थे यद्यपि वे कार्य रूप में परिणत नहीं हुये।

श्री अध्यक्ष--और बातों के लिये आप को समय मिलेगा। इस समय सिर्फ दुख प्रकट करने के लिये प्रस्ताव पेश है उसकी स्पिरिट को आप क़ायम रखिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को बतलाया उनसे हम इस बात में एक हद तक सहमत हैं कि वहां पर प्रबंध कुछ रमणीक हुआ था, मगर हमको उस घटना को देख कर जिस घटना के बारे में आज अपने देश का सारा मानव-समाज दुखी है, अपने देश का ही नहीं बल्कि सारी दुनियां से समवेदना और सहानुभूति के प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, उस घटना पर मैं जब ख्याल करता हूं तो हमको इस बात के कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती कि अगर हम और सचेत हो करके ठीक समय से काम किये होते तो ऐसी महान् दुर्घटना जो हमारे लिये बहुत ही कलंक की बात है कदापि नहीं हुयी होती। श्रीमन्, मुझे भी इस दुर्घटना के परखने और देखने और इसके कारणों को जांचने का मौका मिला था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें बतलाया कि तीन आदमियों की एक कमेटी निर्धारित की गयी है, सही है। समाचार-पत्रों में भी इसकी चर्चा हमने सुनी है। इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिसकी चर्चा की उसी के सम्बन्ध में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह कमेटी जिस कार्य को करने के लिये बनायी गयी·····।

श्री अध्यक्ष---कंडोलेन्स रेजोल्यूशन सहानुभूति और दुख प्रकट करने के लिये आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं समझता हूं कि कोई टीका-टिप्पणी करना या आक्षेप करना ठीक नहीं है जबकि श्री राजनारायण जी को उसके लिये मौका मिलने वाला है और वह सख्ती के साथ कर सकते हैं। इस समय आप सिर्फ दुख प्रकट कर सकते हैं, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। ऐसे अवसर पर अगर टीका या इसी प्रकार की भावनाओं को जगह दी जाय तो उसकी शुद्धता में और उन दुखी आदमियों को शांति पहुंचाने में खंड पड़ता है। इस डर से मैंने आपको टोका कि इस प्रस्ताव की जो जान है, जो आत्मा है उसको आप ठेस न पहुंचायें। इसके बाद आपको मौका मिलेगा यह कहने के लिये कि कुम्भ में किस चीज की कमी रही या नहीं रही। इस समय आप केवल दुख प्रकट करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अब आपके आदेश का पालन करते हुये मैं चाहता हूं कि बहुत आगे चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दुर्घटना से संबंधित एक पक्ष का वर्णन कर दिया था, मैं कुछ कहता और उसको मैं कर्तव्य समझता था लेकिन चूंकि आपका आदेश है कि मैं उसके उत्तर में अपनी सहानुभूति प्रकट करूं वह तो मैं एक वाक्य में कह सकता हूं कि जो महान् दुर्घटना हुयी, उसमें जितनी जानें गयीं उन जानों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति और समवेदना अपनी और अपने पार्टी की ओर से प्रकट करता हूं।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस समय अधिक बोलना आवश्यक नहीं है और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दैव इच्छा सदैव पूरी ही होकर रहती है। "मैन प्रपोजेज गाड डिस्पोजेज" के विचार से कंसोलेशन लेकर हम यह प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना कभी न हो और जो इस दुर्घटना में बलि हुये उनकी आत्मा सदैव अमर रहे।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता सदन तथा विरोधी दल के नेता और अन्य नेता अन्य पक्षों के इन्होंने इस सदन की ओर से और सभी सदस्यों की ओर से कुम्भ में जो दुर्घटना हुयी उसके सम्बन्ध में जो अपने शोकोद्गार किये हैं उसके साथ मैं अपने को असोशिएट करता हूं। मैं किन शब्दों में अपना दुख प्रकट करूं। मैं भी दुर्भाग्य से वहां पर इस घटना का हाल सुनने के लिये कम से कम मौजूद था। देखने के लिये तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह रास्ता मेरे लिये बन्द था और मेरे लिये कोई व्यवस्था भी उस वक्त हो नहीं हो सकती थी। लेकिन जब मैंने सुना, उस वक्त मुझे यह पता नहीं लगा कि इतनी भयानक घटना घटी होगी। रात तक मुझे धीरे-धीरे पता चला कि स्त्रियां, बच्चे बैठे के बैठे रह गये, दर्शन करते हुये या दर्शन करने के प्रयत्न में या नागाओं के पैर छूने के प्रयत्न में और भीड़ इतनी अधिक हो गयी कि वे असहाय हो गये और जो बचाने वाले थे वे भी बचा नहीं सके। तो जो दर्दनाक बातें हुयीं उनकी कल्पना मात्र से भयंकर दुख हुआ और मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि यह बात अचानक कैसे हो गयी जबकि हमें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जब सब तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिये व्यवस्था कर ली गयी है। ऐसी असहाय परिस्थिति में हम और क्या कर सकते हैं। जिनको चोटें पहुंची, जिन लोगों की मृत्यु हुयी उनके प्रति हम समवेदना प्रकट करें और उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें, यही कार्य आज हम असहाय हो कर कर रहे हैं क्योंकि जो जानें चली गयीं वे वापस नहीं आने वाली हैं। यही हो सकता है, जैसा कि नेता सदन ने कहा कि इससे हम सबक सीखें और इस अनुभव से आइन्दा कभी ऐसी घटना न घटे इसके लिये प्रयत्नशील रहें और हर परिस्थिति का सामना करने के लिये जो दूरन्देशी हमको रखनी चाहिये वह हम रखें। उन्होंने एक जांच कमेटी का भी जिक्र किया। मुझे आशा है कि सब तरह की जो घटनायें घटी हैं और जो परिस्थितियां लोगों ने देखी हैं, उनको लोग उस कमेटी के सामने पेश करके ऐसी जानकारी प्राप्त करायेंगे जिससे जनता को आगे के लिये लाभ होगा। इसमें पक्ष या गैर पक्ष का सवाल नहीं है। मृत्यु के सामने सभी पक्ष एक होकर उसका सामना करते हैं। क्योंकि धार्मिक स्थान में यह चीज हुयी है, इसलिये मैं कह सकता हूं कि देश के लिये संकट है और उसका सब को एक हो कर सामना करना है। मैं यही विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और अपना इन शब्दों के साथ दुख प्रकट करना चाहता हूं। अब हम अपना शोक प्रकट करने के लिये और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये एक मिनट के लिये खड़े होकर प्रार्थना करें।

(इसके पश्चात् समस्त सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिये खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के आरम्भिक तथा अन्तिम अंशों का सदन के समक्ष पाठ

श्री अध्यक्ष—अब नियम के अनुसार राज्यपाल के सम्बोधन के बाद पहली मीटिंग में मेरा कर्तव्य होता है कि उनके सम्बोधन को सदन के सामने पढ़ कर सुनाऊं। लेकिन इसकी प्रथा यह रही है कि सम्बोधन के शुरू का कुछ हिस्सा और आखिरी हिस्सा अध्यक्ष पढ़ देता है, पूरा पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब माननीय सदस्यों ने सुन ही लिया है। इसलिये मैं पहला और आखिरी भाग पढ़ देता हूं। यह माना जायगा कि मैंने सम्बोधन को सदन के सामने पढ़ दिया।

"गत वर्ष १६ फरवरी को मुझे आपको सम्बोधित करने का प्रथम बार गौरव प्राप्त हुआ था। तब से एक वर्ष व्यतीत हो गया है। अब आप लोगों को फिर से सम्बोधन का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद की कुम्भ दुर्घटना की चर्चा करते हुए मुझे हार्दिक

[श्री अध्यक्ष]

पीड़ा होती है। अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने जो कार्य हैं, उनको अडिग उत्साह से करने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करें।"

विधान सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब इस बीच में, जो सत्रावसान हुआ उसके बाद और आज के पहले, कुछ गिरफ्तारियां माननीय सदस्यों की हुईं। उनके सम्बन्ध में मैं सूचना सदन को दे देना चाहता हूं।

यह तार काशीपुर से आया है कि श्री नारायणदत्त तिवारी १४४ धारा के तोड़ने में और १८८ उनके ऊपर लागू करने से गिरफ्तार हुये हैं। यह ९ तारीख का तार है।

दूसरा तार श्री गेंदा सिंह और श्री रघुवंशी राय की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। ये माननीय सदस्य इंडियन पेनल कोड की धारा ३४१ के अन्तर्गत गिरफ्तार हुये। यह तार ७ फरवरी का है।

तीसरा श्री अवधशरण वर्मा के विषय में है। यह भी गिरफ्तार हुये हैं। यह ९ फरवरी का पत्र है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के तोड़ने में और दंड विधान की धारा ३४१/५०६ के अन्तर्गत एक आदेश की अवज्ञा करने के कारण भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत इनकी गिरफ्तारी की गयी।

कुम्भ मेले में हुई दुर्घटना के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव श्री झारखंडे राय का है। वह यह है कि ३ फरवरी को त्रिवेणी, प्रयाग में महा कुम्भ मेले पर मौनी अमवस्या के समय जो दुर्घटना हुई जिसके विषय में अभी संवेदना हम लोगों ने प्रकट की उस दुर्घटना की गम्भीरता को देखते हुए कार्य स्थगन करके उसके ऊपर विचार करने के लिये मुझसे अनुमति मांगी है। कामरोको प्रस्ताव का नियम यह है कि एक तो प्रश्न महत्व का होना चाहिये और उसकी अरजेंसी और महत्व के आधार पर उसको तुरन्त उठा लेने की आवश्यकता होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियम हैं वह भी ऐसे प्रस्ताव को लागू होते हैं और एक नियम यह है कि यदि वह प्रश्न, जो कामरोको प्रस्ताव द्वारा उठाया जाने वाला है उसके ऊपर विवाद होने ही वाला हो या कुछ दिनों के अन्दर शीघ्र होने वाला हो तो वह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में इस विषय का जिक्र किया है और उसके ऊपर दो दिन का वाद-विवाद होना है तो उस पर एक तरह से दो दिन बहस की जा सकती है और यह कामरोको प्रस्ताव एक तरह से उस कार्य की बहस करने के लिये 'एंटिसिपेट' करता है, यानी उस प्रश्न पर पहले से ही विचार करने के लिये वह कहता है जबकि कल और परसों दो रोज विवाद होगा। उस समय अधिक गम्भीरतापूर्वक और अधिक समय लेकर पूरा सदन उस पर विवाद कर सकता है और कामरोको प्रस्ताव में तो केवल दो घंटे ही मिल सकते हैं। एंटिसिपेशन के रूल में यह भी सिद्धांत माना जाता है कि जो बहस होने वाली है उस से अधिक महत्व देकर ऐसे प्रश्न पर अगर बहस हो सकती है तो कामरोको प्रस्ताव वैध हो सकता है लेकिन अगर कामरोको प्रस्ताव से भी अधिक महत्व की रीति से बहस होने वाली हो जैसा कि राज्यपाल के सम्बोधन के लिये दो रोज मिलते हैं उसमें हो सकती है तो कामरोको प्रस्ताव लाने की इस समय अनुमति नहीं दी जा सकती।

दूसरी बात यह है कि राज्यपाल के सम्बोधन पर जो विवाद होगा उसमें पहले एक धन्यवाद का संकल्प होगा और उसमें संशोधन भी पेश हो सकेंगे। संशोधन के रूप में कोई

भी बात जोड़ी जा सकती है और प्रस्तुत विषय भी उसमें जोड़ा जा सकता है और उसके ऊपर बहस हो सकती है। इसलिये उसको लक्ष्य करके भी कि इस विषय में राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में विवाद के अवसर पर इस प्रश्न का महत्व बढ़ेगा और कामरोको प्रस्ताव द्वारा नहीं बढ़ता, इसलिये म इसको वैध करार नहीं देता हूं।

इसी तरह का दूसरा भी है, उसकी भी गति यही है।

गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक और प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का है, उसमें बिलकुल ही कामरोको प्रस्ताव जो होते हैं उनके रखने के नियमों का पालन नहीं किया गया है। बहस अधिक है और प्रस्ताव की शक्ल भी अन्त में थोड़ी सी ही है। गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के सम्बन्ध में है और टैरिफ बोर्ड का भी जिक्र किया है और बहुत सा इतिहास उसमें बयान किया गया है।

इसके सम्बन्ध में अगर चर्चा करना है तो वह भी राज्यपाल के सम्बोधन के विवाद में यह प्रश्न उठा कर की जा सकती है, इसलिये इसको भी मैं वैध करार नहीं देता हूं और इजाजत नहीं देता हूं।

अब किस तरह से लक्ष्य करके यह चीजें उठायी जा सकती हैं, अगर इस विषय में कोई सुझाव हो तो मैं स्वीकार करने को तैयार हो जाऊंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, ऐसी अवस्था में जब कि आपने उसकी अनुमति नहीं दी है मुझे आपसे एक निवेदन करना है और आशा है कि उसकी अनुमति दी जायगी। निवेदन यह है कि राज्यपाल के सम्बोधन के विषय में जितने संशोधन कुम्भ के विषय पर आवें मेरी प्रार्थना यह है कि उनको एक के बाद एक करके लिया जाय न कि उनको इकट्ठा करके सम्मिलित वाद-विवाद के लिये लिया जाय। मुझे आशा है कि आप सब को मौका देंगे कि अच्छी तरह से अपनी भावनाओं, विचारों और सुझावों को बयान कर सकें। आपके सन्मुख सदन के सन्मुख और जनता के सन्मुख जो बाहर खड़ी है।

श्री अध्यक्ष---माननीय झारखंडे राय जी ने जो सुझाव दिया उसमें वह कुछ गलती कर गये। शायद उनका मतलब यह है कि कुम्भ के सम्बन्ध में जो संशोधन हों वह एकत्रित कर दिये जायं और उनके ऊपर बहस एक तरफ हो जाय और बाकी विषयों के जो संशोधन हों वह अलग लिये जायं। यह हो सकता है। यह नहीं कि अगर वह २५ हों तो भी एक एक करके लिये जायं और एक पर वोट लेने के बाद दूसरा लिया जाय; ऐसा किया जाय तो दो दिन सिर्फ कुम्भ पर ही विचार होगा और दूसरे विषयों पर नहीं हो सकता। सम्बोधन में और भी महत्व के विषय हैं। इसलिये मैं यह कर दूंगा कि कुम्भ के सम्बन्ध में जो संशोधन होंगे जितने भी होंगे वह पहले पेश हो जायें। फिर दुर्घटना के सम्बन्ध में बहस होती रहेगी जब तक कि इन संशोधनों के ऊपर एक साथ विचार यह सदन करना चाहेगा। यह मैं अलग कर दूंगा और जो दूसरे संशोधन अन्य विषयों पर होंगे जैसे इसमें विकास का भी जिक्र है और दूसरी चीजों का भी जिक्र है वे विषय अलग-अलग पर एक साथ बाद में ले लिये जायेंगे। पहले कुम्भ से संबंधित संशोधनों को लेने की मैं व्यवस्था कर दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, अगर इन संशोधनों को अलग-अलग लेकर वाद विवाद होगा तो क्या एक-एक सदस्य को कई मर्तबे बोलने का अवसर मिलेगा। हर विषय पर अलग-अलग बोलने का यदि अवसर होगा तो कितने आदमी बोल सकेंगे। मैं सिर्फ सुझाव के सिलसिले में आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि अगर

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

आप सुझाव सब एक साथ करने दें। पहले सब सुझाव हो जायं और उसके बाद एक-एक विषय पर, जिस पर जो बोलना चाहे बोले और फिर उसके बाद आप वोट लेना चाहें तो पहले एक विषय के सब संशोधन ले लें तब तो कई आदमियों को बोलने का अवसर मिल सकेगा। और नहीं तो अगर हर एक संशोधन पर अलग-अलग विवाद होगा तो कई बातों के बारे में कई लोग कुछ कह नहीं पायेंगे। मगर मुझे किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है। जिस ढंग पर भी करना चाहें करें। मैं सिर्फ सदन के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आशंका प्रगट की है उसको सामने रखते हुए मैंने श्री झारखंडे राय के सुझाव पर अभी अपनी सफाई दी थी लेकिन शायद मैं समझा नहीं सका। मेरा मतलब यही था कि मैं दो हिस्सों में सब संशोधनों को बांट दूंगा। एक हिस्सा वह होगा जो कुम्भ से संबंधित है। उसके संबंध में जितने संशोधन होंगे सब एक साथ पेश कर दिये जायेंगे और उनके ऊपर एक साथ बहस हो जायगी। और उनके ऊपर जो सदन की राय होगी वह ले ली जायगी। अन्य विषयों के जो प्रस्ताव हैं वह भी फिर एक साथ ले लिये जायेंगे और उनके ऊपर राय ले ली जायगी। इसलिये दो ही हिस्सों में बंटेगा। यह नहीं होगा कि एक प्रस्ताव कुम्भ के विषय में आया और उस पर वोट ले लिये गये फिर दूसरा प्रस्ताव कुम्भ के विषय में कुछ थोड़े से शब्द बदल कर आया उस पर फिर वोट लिये गये। इसी प्रकार से कुम्भ के विषय में जितने संशोधन हैं उनको अलग-अलग लिया जाय ऐसा नहीं होगा इस तरह से तो कुम्भ ही कुम्भ चलता रहेगा जितने भी संशोधन कुम्भ के सम्बन्ध में होंगे वे सब एक विषय के संशोधन के रूप में समझे जायेंगे और इसके विषय में दो, तीन, चार घंटे बहस हो जायगी। उसके बाद और विषय सामने आ सकते हैं। इस तरीके से कामरोको प्रस्ताव द्वारा जो दो घंटे कुम्भ के ऊपर बहस करना कुछ लोग चाहते थे उससे अधिक समय तक इस पर विचार किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यही तरीका अच्छा रहेगा और कोई ऐसी आशंका नहीं रहेगी कि एक-एक संशोधन पर फिर-फिर से लोग बोलना शुरू कर दें ऐसा मौका नहीं मिलेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--प्वाइंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब दो हिस्सों में बांट दिया जायगा तो क्या एक सदस्य दो बार भाषण दे सकेगा। डिबेट के रूल्स के अनुसार एक दफा ही एक सदस्य बोल सकता है। परन्तु इसका अर्थ तो यह होगा कि एक सदस्य को दो बार बोलने का मौका होगा।

श्री अध्यक्ष--जी हां, यह तो नियम में है ही कि हर संशोधन के ऊपर सदस्य बोल सकता है। एक संशोधन आया तो उस पर कोई भी सदस्य बोल सकता है फिर दूसरा संशोधन आया और उस पर लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं इसीलिये मैंने कुम्भ के ऊपरसब संशोधन इकट्ठे कर दिये हैं। उन पर एक दफा बोलने का मौका मिल जायगा अन्य विषयों पर एक दफा फिर मौका मिल जायगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मान लीजिये कि कुम्भ का संशोधन हो हो और कोई माननीय सदस्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में बोलना चाहें और कुम्भ का भी उसमें जिक्र कर दें तो उसके लिये क्या उनको रोक दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--रोक तो नहीं सकता हूं, जबान रोकना तो मुश्किल है। लेकिन न सम्पूर्ण भाषण उसी विषय पर नहीं कर सकेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर दो अलग-अलग प्रस्तावों के अन्तर्गत विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष---प्रस्ताव तो एक ही होगा लेकिन संशोधन अनेक होंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना---श्रीमन्, आपने कहा कि जो संशोधन कुम्भ के सम्बन्ध में आयेंगे उन पर आप एक हिस्से में बातचीत करवायेंगे तो सिर्फ कुम्भ के ही टुकड़े पर एक बार एक सदस्य बोल सकेगा। बाकी सब पर फिर अलग-अलग संशोधन आयेंगे और एक ही सदस्य भिन्न-भिन्न तरीके से अगर बोलना चाहेगा तो कई बार बोल सकेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं जितना समझा सकता हूं उतना ही समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको नियम १७८ पढ़कर सुना देता हूं :

"178. Amendment How Put--(1) when an amendment is moved, or when two or more amendments are moved, the Speaker shall, before putting the question thereon, state or read to the House the terms of the original motion.

(2) It shall be in the discretion of the Speaker to put first to the vote either the original motion or any of the amendments which may have been brought forward".

[१७८---संशोधन पर मत लेने की रीति---(१) जब कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है या जब दो या दो से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जायं तब अध्यक्ष उन पर प्रश्न उपस्थित करने से पूर्व मूल प्रस्ताव को सदन को बतायेगा या पढ़कर सुनायेगा।

(२) यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह पहले मूल प्रस्ताव का या किसी संशोधन को जो प्रस्तुत किया गया हो, मत के लिए रखे।]

तो कोई भी अमेंडमेंट हो मैं उसके ऊपर वोट ले सकता हूं अलग-अलग यह एक सहूलियत की बात है और मैं समझता हूं कि जो काम आपस में तय करके आप मुझे बतला देते और मैं मान लेता मैंने उसके लिये एक रास्ता स्वयं निकाल दिया कि जिसमें सदन में थोड़ी सी शांति हो जाय। हालांकि वैसे भी अगर कुम्भ के ऊपर लोग बोलना चाहें तो ५० आदमी बोलेंगे, इसलिये इस रीति द्वारा मने उसके ऊपर सीमा लगा दी कि उस विषय पर ही जो लोग बोलना चाहें पहले बोलें और उसके बाद जब क्लोजर हो जाय तो बाकी विषय लिये जायं जिससे कुम्भ ही कुम्भ पर दो दिन विवाद न हो। इसलिए इस रीति में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं कठिनाई होने पर सम्हाल लूंगा। वह काम तो मेरा है। आपको कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३, की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १ दिसम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीज़ीशन (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीज़ीशन (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ दिसम्बर,

[श्री अध्यक्ष]

१९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३० दिसम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का ३२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २ जनवरी, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गए संशोधनों के विषय में विज्ञप्तियां

गृहमन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४२८-टी०पी०/३०--१४२-टी० (४२)-५३, दिनांक २० अगस्त, १९५३ ई० और विज्ञप्ति सं० ३९२५-टी०पी०/३०७५९-टी०पी०/४९, दिनांक २४ अक्टूबर, १९५३ ई० को, जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपरक) अध्यादेश, १९५४

स्वासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)--मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ को, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१ पर)

कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२-३३ पर)

सदन की बैठक शनिवार, १३ फरवरी, १९५४ को करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन के सामने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

> "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू०पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है और उक्त नियम के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को बैठक नहीं हुआ करती। तथापि १९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५४-५५ के आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रियेशन बिल्स) को ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर १३ फरवरी, १९५४ को भी होगी।"

सदन की बैठक आज ही शुरू हुई है और आज भी थोड़े ही देर काम हो रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि सभी को यह उचित मालूम होगा कि हम शनिवार को भी बैठें और काम करें।

यह भी मैं कहना अनुचित नहीं समझता कि संभव है पीछे भी कोई प्रस्ताव ऐसा ही आये। अगर २० तारीख को बजट पेश हुआ तो उसके लिये मुमकिन है इस तरह की अनुमति लेनी पड़े, लेकिन आज तो १३ तारीख के बारे में जो परसों है अनुमति चाहता हूं। जो विषय हैं सदस्य भी चाहते हैं कि उन पर जल्दी से जल्दी वाद-विवाद हो। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सभी को यह संकल्प स्वीकार होगा।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो संकल्प उपस्थित किया है मुझे बहुत ही दुख के साथ निवेदन करते हुए उसका विरोध करना पड़ रहा है और श्रीमन्, मैं आज इस प्रथम दिन के अवसर पर क़तई यह नहीं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई इस तरह का प्रस्ताव उपस्थित करें और उसका मुझे विरोध करना पड़े। मगर कुछ ऐसा घटना चक्र है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रथम दिन के अवसर पर ऐसा संकल्प उपस्थित किया कि अपने कर्त्तव्य की पूर्ति में मुझे उसका विरोध करना पड़ रहा है। श्रीमन्, अगर नियम १५३ वोटिंग आफ़ डिमांड्स को देखा जाय—

"The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot for the purpose."

[अनुदानों के लिए मांगों पर ऐसे दिनों में (जो बीस से अधिक नहीं होंगे) प्रत्येक वर्ष १० मई से पूर्व मत लिए जायंगे, जिनका इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सभा के नेता से परामर्श करके बंटन करे।]

तो श्रीमन्, आज यह ११ फरवरी है और १० मई तक की इसमें व्यवस्था है और यह इतना काफी समय है इस सदन में जो कार्य है उसको सम्पादित करने के लिये कि मैं इसकी कतई आवश्यकता महसूस नहीं करता कि ऐसा प्रस्ताव लाया जाय और शनिवार को बैठक न होने की जो परिपाटी है उसको इस तरह से संकल्प प्रस्तुत करके तोड़ा जाय। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई गहन विषय नहीं है जिस पर आज ही बहस हो। माननीय मुख्य मंत्री जी जो समय हमें एलाट है उसके अन्दर अपने कार्य को सम्पादित कर सकते हैं। जब ऐसा संभव न हो तब वह ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं। उस अवसर पर हमें कोई आपत्ति न होगी। लेकिन श्रीमन्, आज पहले दिन के अवसर पर परसों शनिवार के लिये ऐसा प्रस्ताव ले आया जायगा इसकी हम कल्पना तक न कर सकते थे जबकि कल नान आफिशियल डे (गैर सरकारी दिवस) है। इसी कारण से शनिवार के लिये हमने दूसरे कार्यों को पूरा करने के लिये छोड़ा था। अगर इसके पहले सूचना मिल गयी होती कि शनिवार को भी सरकारी पक्ष कार्य करना चाहेगा तभी जाकर कार्य पूरा हो सकता है। तो उस सूचना को पाकर हम लोग भी जो विशेष कार्य शनिवार के लिये छोड़ रखे हैं उनको न रखते और उनको रोक देते। इस कारण जो इस समय परिस्थिति है उसमें हमारे लिये यह अन्याय होगा अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने प्रस्ताव को पास कराने के लिये अड़े रहेंगे और उसको सदन से पास कराने के लिये अपील करेंगे। इसलिये आपके द्वारा मैं यह उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वह इस समय प्रस्तुत न करें और इसको वापस ले लें और इसको पास कराने के लिये सदन से अपील न करें। मैं तो यह आशा रखता था और नहीं चाहता था कि कुम्भ दुर्घटना के विषय में कोई प्रस्ताव यहां पर किया जाय तो उस महान् दुर्घटना पर यहां कोई वाद-विवाद हो और उसको विरोधी पक्ष के भाव से विरोध किया जाय, परन्तु उसी कार्य को पूरा करने में बाधा उपस्थित की जाती है।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी जो संकल्प अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भवन के सामने रखा है उसके विरोध में कहना है। श्रीमन्, यह कोई नयी बात नहीं है इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार की ओर से इस भवन के सामने खे गये हैं। अगर श्रीमन् को याद होगा तो हर साल ऐसे अवसर आते हैं। जब बजट का समय ाता है तो जो शनिवार या नानआफिशियल डे को भी सरकार लेने का प्रयत्न करती है

[राजा वीरेन्द्रशाह]

मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि जब नियम ११ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि शनिवार को कोई बैठक नहीं होगी, तो मैं श्रीमन्, यह कहूंगा कि यह नियम जब तक बदला नहीं जाता तब तक उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यह भवन की शान के लिये अच्छी बात नहीं है। उस नियम को आप हटा दें और शनिवार को भी बैठा करें। इसलिये मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता ने जो आपसे प्रार्थना की है उसको स्वीकार करें और यह प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं तो समझता हूं कि इस सदन के सदस्य विशेषकर नेता विरोधी दल मेरे संकल्प को स्वीकार करेंगे। उन्होंने दो कामरोको प्रस्ताव दिये और उनको इतना जरूरी समझा कि सब काम छोड़कर इन पर वाद-विवाद तुरन्त किया जाय। उन कामरोको प्रस्तावों के बारे में उनको गालबन् कल सारे सदस्यों को अवसर मिलेगा कि जिन विषयों को वह महत्व का समझते हैं उनके बारे में अपना मत यहां पर प्रकट करें। वह तो चाहते थे कि आज ही हो। मैंने कहा कि आज नहीं हो सकता। तो कल होने से अच्छा है क्योंकि उसको सोमवार तक के लिये छोड़ा जाय और उनको शनिवार का भी समय दिया जाय ताकि जो जरूरी बात हो वह सदन के सामने रखें तो जब ऐसा मार्मिक अवसर उपस्थित है तो उस अवसर पर जिस बात को वह महत्व की समझते हैं रख सकते हैं और उससे ज्यादा जरूरी कोई और बात उनके लिये नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जितनी अहमियत वह समझते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो काम है और जो संकल्प रखा गया है, वह तो उनकी इच्छा को पूरी करने वाला है। इसलिये उनको कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिये।

जो बात नियम बदलने की कही गयी। मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता हो सकती है कि सम्भवतः हमको नियम बदलना पड़े। शनिवार के बारे में हो या न हो मगर आवश्यकता हो सकती है कि हम अपने नियमों को बदलना जरूरी समझें और उनमें कुछ परिवर्तन करना जरूरी समझें। परन्तु अब जब बड़े आवश्यक विषय समझे जाते हैं जिनके लिये सभी काम रोकना जरूरी समझा जाता है तो हमें भी कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ता है। उसका ख्याल न करें और इस कार्य में लगें, तब तो यह प्रस्ताव सभी को मान्य होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि नेता सदन (सिर्फ) यह समझेंगे कि जो कुछ मैंने रखा है वह उनके सुभीते के लिये है और वह उनको हर तरह से मान्य होगा।

श्री राजनारायण--माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे भावों की कदर की है जिसके लिये मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अगर आज ५ बजे के बाद हम लोग ९ या १० बजे तक बैठ कर हमारे कामरोको प्रस्तावों पर विचार करने की वह व्यवस्था करा दें तो मैं उनका ऋणी रहूंगा।

श्री अध्यक्ष--यह कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है जिस पर मैं राय ले सकता हूं।

श्री गोविन्द वलल्भ पन्त--मेरे हाथ की बात है नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है और उक्त नियम के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को बैठक नहीं हुआ करती। तथापि १९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५४-५५ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बंधी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रियेशन बिल्स) को ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर १३ फरवरी, १९५४ को भी होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शुक्रवार, १२ फरवरी, १९५४, असरकारी दिन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार १२ फरवरी, १९५४ को उक्त महीने का दूसरा शुक्रवार होने के कारण उस दिन सरकारी कार्य की अपेक्षा गैर सरकारी कार्य की अग्रगामिता (प्रेसीडेंस) होगी। किन्तु १९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५४-५५ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बंधी विनियोग विधेयक को ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक राज्यपाल के सम्बोधन पर वाद-विवाद के लिये ही निश्चित रहे।"

जो मैंने पहले कहा, फिर उसके बाद और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री के हर संकल्प का हमें विरोध करना पड़ रहा है। पहले संकल्प को तो सदन पास कर ही चुका है, लेकिन दूसरे के बारे में विशेष आपत्ति हमें इसलिये है कि आज तक इस विधान सभा के २ बरस के इतिहास में केवल ७ ही गैरसरकारी दिन हमको प्राप्त हो सके हैं जिनमें ३ सन् १९५२ में और ४ सन् १९५३ में थे। पहले भी सरकार की तरफ से इस प्रकार के प्रस्ताव हुये हैं और गैरसरकारी दिनों को हमें सरकार को समर्पित कर देना पड़ा है।

दूसरी बात यह है कि जब हम १२ तारीख के एजेन्डा को देखते हैं तो उसमें राम सुमेर जी का हरिजनों के सम्बन्ध में एक विधेयक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि उसमें हरिजनों की विभिन्न विभागों में सीटों का और अन्य अधिकारों के संरक्षण की बात कही गयी है। दूसरा प्रस्ताव श्री पुत्तूलाल जी का भी हरिजनों के सम्बन्ध में हूं। श्री देवकी नन्दन विभव का हाउसिंग के बारे में प्रस्ताव है। जो बहुत महत्वपूर्ण है तीनों प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी दल के सदस्य भी यदि गैरसरकारी प्रस्ताव लाना चाहें तो विरोधी दल की तरफ से कोई आपत्ति न उठाई जाय और इन तीन कारणों से हमें भय है कि हरिजनों के विधेयक को देखकर माननीय मुख्य मंत्री जी घबरा गये हैं, उसके विरुद्ध उनके पास कोई उचित जवाब नहीं है, इसलिये उस विषय को वे टाल ही देना चाहते हैं। आज तो क्योंकि हमारी प्रार्थना बिलकुल अस्वीकृत ही हो रही है अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करने की तो हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन उनसे यह मांग तो अवश्य करता हूं कि वे इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों और बिलों को देखकर तथा यह भी देखकर कि पिछले दो वर्षों में केवल ७ दिन ही असरकारी कार्यों के लिये मिल सके हैं, अपने हठ को छोड़ दें और हम लोगों की इस मांग को स्वीकार करें।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय राम नारायण जी के विचारों का समर्थन करना चाहता हूं कि गैर सरकारी दिनों को इस प्रकार नहीं लिया जाना चाहिये। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अत्यन्त विनयपूर्वक यह प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों को यह अवसर बड़ी कठिनता से मिलता है यानी महीने में केवल दो दिन ही रखे गये हैं और वे भी किसी न किसी प्रकार से इधर-उधर हो जाते हैं। मैंने २८ अगस्त को एक व्यायामशाला सम्बन्धी संकल्प उपस्थित किया था। उस समय मेरा भाषण जारी था और वह पूरा नहीं हो पाया था इस कारण से दूसरे असरकारी दिन के लिये वह भाषण स्थगित कर दिया गया था। यह दूसरी बात है कि कोई उस प्रस्ताव

[श्री रणंजय सिंह]

को अधिक महत्व दे और कोई कम महत्व दे। अतः आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह विनय करूंगा कि वे असरकारी दिन को न लिया करें क्योंकि उससे हम लोगों को जो इस सदन में ४०० से अधिक की तादाद में असरकारी हैं, उनकी उपेक्षा होती है। पिछले अधिवेशन में भी कोई असरकारी कार्य नहीं हो पाया। अब किसी प्रकार से यह समय आया था और श्रीमान् जी ने उसके लिये आदेश भी दिया था। लोगों ने अपने-अपने प्रस्ताव भेजे, शलाका का भी आयोजन हुआ लेकिन फिर भी अब उसको इस प्रकार से लिया जा रहा है। अगर असरकारी दिन रखना नहीं चाहते थे तो पहले से ही उसकी सूचना दे देनी चाहिये थी। मैं यह मानता हूं कि माननीय राज्यपाल के संबोधन पर विचार करना बहुत आवश्यक है लेकिन अगर ऐसा था तो पहले से ही उसके लिये कार्यक्रम जाना चाहिये था। मैं माननीय सदन के नेता से यह निवेदन करता हूं कि यदि वे किसी कारण से कल के दिन की हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते और इस समय भी पहले कार्यक्रम बनाते वक्त इसपर विचार नहीं किया था तो आगे से वे बजाय एक मास में २ दिन के ४ दिन असरकारी रख दिया करें तथा हम लोगों को आगे के लिये यह आश्वासन दिया जाय कि आगे से असरकारी दिनों को सरकारी दिनों में परिणत न किया जायगा और इस प्रकार से इस सदन के ४०० से अधिक असरकारी सदस्यों की उपेक्षा न की जाया करेगी। अतः श्रीमान् जी, आपके द्वारा मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी और माननीय रणंजय सिंह ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनका समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि एक असरकारी दिन जो मुकर्रर किया गया है उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है या नहीं? यदि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का विचार यह है कि उस दिन समय नष्ट होता है तब तो उस दिन असरकारी कार्यवाही को बंद कर दिया जाय और उस दिन सरकारी कार्य जो वे महत्वपूर्ण समझते हैं, वह लिया जाया करे। मगर जहां तक मेरा विचार है कि नियमों में यह इसीलिये रखा गया है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ महत्व अवश्य ही समझा गया तभी सदस्यों को हर दूसरे शुक्रवार को गैर सरकारी प्रस्तावों तथा बिलों पर विचार करने का मौका दिया गया है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जब वे किसी गैर सरकारी दिन को सरकारी काम के लिये काम में लाते हैं हालांकि नियमों में यह नहीं लिखा हुआ है तो वे कम से कम किसी सरकारी दिन को गैर सरकारी काम में लाने की इजाजत दें ताकि किसी न किसी तरह से इसकी पूर्ति होती रहे। यह एक अनुचित बात है कि जब सभी सदस्य इस दल के भी और जो इधर बैठे हुए हैं उनमें से भी बहुत से चाहते हैं कि वे कोई गैरसरकारी विधेयक या प्रस्ताव लावें और सदन के सामने उस पर चर्चा और बहस हो। तो यह एक उचित बात नहीं मालूम होती कि उनको इस प्रकार का मौका न दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जहां तक इन उज्रात का ताल्लुक है जो इस बारे में किये गये हैं तो इस सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि गैर सरकारी दिन जो भी इस तरह से सरकारी काम के नाम में आ जायं तो उसके बदले में दूसरा दिन दिया जावे। जो दिन कल का है, मुमकिन है कुछ दिन और भी हो तो मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि यह अधिकार वे अपने हाथ में रखें कि उन दिनों के बदले में दूसरे दिन अवश्य हों तो उससे कोई कमी इसमें नहीं होगी। मगर क्रम क्या हो उसकी बात दूसरी है। आज माननीय राज्यपाल का जो प्रवचन आपके सामने आया है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सदस्य कहना चाहते हैं इसलिये कल इसका हो जाना अच्छा है।

जहां तक कल के दो या तीन प्रस्तावों के बारे में बात है वे तीनों संशोधन के रूप में कल रखे जा सकते हैं और कल इस तरह से बहस होकर उनका फैसला भी हो सकता

है। जहां तक श्री राम नारायण जी ने डर कर भागने की बात कही, वे हमें डर से कहां भागने देना चाहते हैं। अगर वे भागना भी चाहें तो उनको भागने के बहुत से मौके मिलेंगे। इसलिये कल उन तीनों सुझावों को संशोधन के रूप में रखें और उन सुझावों पर बहस भी अलग अलग हो जाय, जितना भी टाइम दिया जाय तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह से नान आफिशियल काम हो जायगा और आफिशियल डे में जो काम होता है उस दिन के लिये उनका नान आफिशियल डे फिर भी बाकी रहेगा। इसलिये उनको तो एक दिन और मिलेगा और जो काम कल होना है उसे भी करा सकेंगे। इसलिये उनके लिये तो यह और भी लाभदायक है कि वे इस तरीके पर कल तीनों सुझाव संशोधन के रूप में लावें और उन पर फिर विवाद हो और उन पर वोटिंग भी करा लें। मैं हर हालत में चाहता हूं कि जो दिन कल का है और फिर सेशन खतम होने के पहले जितने भी नान आफिशियल डेज हों वे सब मिलें। जो यह कहा गया है कि चार सौ गैरसरकारी हैं या कुछ सरकारी हैं तो यह तो आफिशियल बिजनेस और नान आफिशियल बिजनेस के नाम से होता है। मगर सरकारी या गैरसरकारी ये कठिन शब्द हैं। चार सौ गैरसरकारी हैं या चार सौ सरकारी हैं इस सम्बन्ध में कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है। इसको यहीं छोड़ दें। मगर जिन लोगों के ये सुझाव हैं उनको खुद इस बात की कोई खास ख्वाहिश नहीं है कि वे कल ही आ जायं, लेकिन जिनके सुझाव नहीं हैं उनकी ख्वाहिश है। इसलिये यदि मैं यह कहूं कि जो मैं कह रहा हूं उससे वे असहमत नहीं हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आपके अनुशासन से डरते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अगर वे मेरे अनुशासन से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे समझते हैं कि जो सलाह मैं उनको दे रहा हूं वह सही है और उसी पर चल कर उनका फायदा होगा। नहीं तो डरने का कोई मामला ही नहीं हो सकता। परन्तु आपके लिये मैं क्या कहूं डर क्या मुहब्बत करते हुए भी तो आपको अपने साथ नहीं ले पा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं माननीय मुख्य मंत्री के अंतिम आश्वासन पर अपने विरोध को वापस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी हां।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू०पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार १२ फरवरी, १९५४ को उक्त महीने का दूसरा शुक्रवार होने के कारण उस दिन सरकारी कार्य की अपेक्षा गैर सरकारी कार्य की अग्रगामिता (प्रेसिडेंस) होगी। किन्तु १९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५४-५५ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक राज्यपाल के सम्बोधन पर वाद-विवाद के लिये ही निश्चित रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के चार सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के सदस्य सर्वश्री फूल सिंह, राधाकृष्ण अग्रवाल,

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

राम जी सहाय तथा वीरेन्द्र शाह का अवधिकाल २६ नवम्बर, १९५३ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थानों पर विधान सभा के ४ सदस्यों का रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी के मद (११) के अनुसार निर्वाचन जिस प्रकार और जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के सदस्य सर्वश्री फूल सिंह, राधाकृष्ण अग्रवाल, रामजी सहाय तथा वीरेन्द्र शाह का अवधिकाल २६ नवम्बर, १९५३ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थानों पर विधान सभा के ४ सदस्यों का रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी के मद (११) के अनुसार निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में विधान सभा के एक सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव

अन्न मन्त्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबंधकारिणी समिति में विधान सभा के सदस्य श्री दीनदयाल शास्त्री का अवधिकाल समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबंधकारिणी समिति में विधान सभा के सदस्य श्री दीनदयाल शास्त्री का अवधिकाल समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--अब इन दोनों प्रस्तावों के लिये जिनको सदन ने अभी पारित किया है उनके चुनाव के लिये मैं यह कार्यक्रम निश्चित करता हूं :--

(१) नामनिर्देशन-पत्रों को प्राप्त करने की तिथि तथा समय १७ फरवरी सन् १९५४ को १ बजे मध्याह्न तक ।

(२) नामनिर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १७ फरवरी सन् १९५४ को तीन बजे अपराह्न तक ।

(३) नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय २३ फरवरी सन् १९५४ को तीन बजे अपराह्न तक ।

यदि आवश्यकता हुई तो निर्वाचन की तिथि, समय और स्थान की सूचना मैं बाद में दे दूंगा । यह दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में है ।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४१ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
११ फरवरी, १९५४

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ २४ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९५४ ई०)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को कुछ प्रयोजनों के निमित्त अनुपूरित करने का — १९४७ का यू० पी० ऐक्ट २६।

अध्यादेश

राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें यह आवश्यक है कि तत्काल ही यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को कुछ प्रयोजनों के निमित्त अनुपूरित किया जाय, — १९४७ का यू० पी० ऐक्ट २६।

और राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है।

अतएव भारत संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं और प्रख्यापित करते हैं—

(१) यह अध्यादेश आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अध्यादेश में पद "गाँव पंचायत", "गाँव सभा" और "पंचायती अदालत" का तात्पर्य क्रमशः यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित "गाँव पंचायत", "गाँव सभा" और "पंचायती अदालत" से है। — परिभाषा। १९४७ का यू० पी० ऐक्ट २६।

३—किसी गाँव पंचायत के सदस्य तथा गाँव सभा के वाइस प्रेसीडेंट अथवा प्रेसीडेंट तथा पंचायती अदालत के पंच अथवा सरपंच की, जो इस अध्यादेश के आरम्भ पर उस रूप से पद ग्रहण किये हों, पदावधि इस प्रकार अवधारित की जायगी मानों कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११ की उपधारा (३) और धारा १२ की उपधारा (३) और धारा ४५ की उपधारा (१) में शब्द "Five years" के स्थान पर शब्द "Six years" रख दिये गये हों और ६ वर्ष का कार्य काल निर्दिष्ट करती हुई घोषणा उक्त धाराओं के अनुसार तथा अधीन यथोचित रूप से कर दी गयी हो। — गांव सभाओं के प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट तथा गांव पंचायतों के सदस्य तथा पंचायती-अदालतों के पंचों और सरपंचों की पदावधि का बढ़ाना।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २४ पर)

कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

१८७१ का ऐक्ट १। कुछ प्रयोजनों के निमित्त कैटिल, ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ में, जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बंध है, संशोधन करने का

विधेयक

१८७१ का ऐक्ट १। कुछ प्रयोजनों के निमित्त कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ को, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बंध है, संशोधन करना आवश्यक है। अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१८७१ का ऐक्ट १ की धारा १६ का संशोधन।

२—कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ (जिसे यहाँ पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Penalty for damage caused to land by cattle.

26. Any owner or keeper of cattle, who, through neglect or otherwise, damages or causes or permits to be damaged any land, or any crop or produce of land by allowing such cattle to trespass thereon, shall on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not less than Rs. 10 but not exceeding Rs. 250 or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both."

कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में १८७१ के ऐक्ट १ की धाराएं २६ और २८ का संशोधन।

३—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बंध में यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २६ तथा मूल अधिनियम की धारा २८, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है और अधिक संशोधित तथा परिस्कृत रहेंगी और उक्त प्रख्यापन के दिनांक से मूल अधिनियम तदनुसार संशोधित रहगा।

अनुसूची

१—इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Penalty for damage caused to land

26. Any owner or keeper of cattle, who, through neglect or otherwise, damages or causes or permits to be damaged any land or any crop or produce of land by allowing such cattle to trespass thereon, shall, on conviction before a Magistrate, be liable—

(*a*) for the first offence to a fine not less than Rs. 10 but not exceeding Rs. 250 or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both,

(*b*) for the second or subsequent offence to an imprisonment for a term not exceeding three months and fine not exceeding Rs. 500"

२—मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय

28. All fines recovered under section 25, clause (*a*) of section 26 or section 27 may be appropriated in whole or in part as compensation for loss or damage proved to the satisfaction of the convicting Magistrate." "Application of fines recovered under sections 25, 26, 27.

उद्देश्य और कारण

कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ की धारा २६ में की गयी व्यवस्था के अनुसार किसी पशु के दूसरे की भूमि में अनधिकार प्रवेश करने और उसकी फसल या पैदावार को हानि पहुंचाने पर उस पशु के स्वामी को अधिक से अधिक ५० रु० का अर्थ-दंड दिया जा सकता है। यह अनुभव किया गया है कि इस धारा के अधीन की गयी दंड की व्यवस्था उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है और इसके लिये अधिक कठोर दंड की आवश्यकता है। इसलिये यह प्रस्ताव है कि अर्थ-दंड की धनराशि बढ़ा कर अधिक से अधिक २५० रुपया और कम से कम १० रुपया कर दी जाय और यह भी व्यवस्था की जाय कि ३ महीने तक का कारावास अथवा दोनों दंड साथ ही दिये जा सकें। विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि यदि राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस प्रकार विज्ञप्ति कर दिया हो तो पशु के स्वामी को दूसरी बार या उसके बाद किये जाने वाले अपराधों के लिए तीन मास तक का कारावास और अधिक से अधिक ५०० रुपया तक का अर्थ-दंड दिया जा सकता है।

सम्पूर्णानन्द,
गृह मन्त्री

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२२ एल० ए०—१९५४—८५०।